कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमांक ..../एम.सी/अराज/5/2021 भोपाल, दिनांक......./11/2021

//आदेश//

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–2–20/2020/1/55/ दिनॉक 17.11.2020 एवं संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 515/स्था/अराज/ 2020 दिनांक 22–05–2021 के तहत म0प्र0 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम 2018 द्वारा प्राप्त सह–चिकित्सकीय संवर्ग की अनुसूचियों के आधार पर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को भरे जाने हेतु कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक 16142/एमसी/अराज/5/21 दिनांक 07.06.2021 एवं सूचना क्रमांक 3295–97/एम.सी./अराज/5/2021 दिनांक 18.06.2021 के प्रस्ताव पर एम.पी.ऑनलाइन द्वारा प्रेषित परीक्षा परिणाम की मेरिट के आधार पर कार्यालयीन आदेश क्रमांक 34832–50/एमसी/अराज/5/2021 दिनांक 25.05.2021 के द्वारा उम्मीदवारों के दिनांक 28.10.2021 से 30.10.2021 तक दस्तावेज सत्यापन एवं स्क्रूटनी की जाकर दिनांक 08.11.2021 को जारी अनन्तिम सूची में चयनित **निम्नलिखित योग्य उम्मीदवारों को** पैरामेडिकल (सह चिकित्सकीय) पदों पर विज्ञापन शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है:–

(1) पदनाम – टी.बी एण्ड चेस्ट डिसीज हेल्थ विजीटर, संवर्ग – अनारक्षित

क्र.	चयनित उम्मीदवार का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पता
01	**श्री योगेश कुमार दुबे**	**श्री कैलाश बाबू दुबे**	**26.06.1983**	**रायसेन**

(2) पदनाम – टी.बी एण्ड चेस्ट डिसीज हेल्थ विजीटर, संवर्ग – अन्य पिछड़ा वर्ग, पद संख्या–01– मेरिट सूची

01	श्री जितेश राठौड	श्री राधेश्याम राठौड	01.01.1981	इंदौर

(3) पदनाम – प्रोस्थेटिक एण्ड आर्थोटिक टेक्नीशियन संवर्ग – अनारक्षित,

01	श्री जितेश कुमार दुबे	श्री राम शंकर दुबे	16.03.1989	नागपुर

(4) पदनाम – लैब अटेन्डेन्ट, संवर्ग – अनुसूचित जाति,

01	श्री राघव	श्री सेवक राम	25.09.1993	भोपाल
02	श्रीमती रंजीता पाटिल	श्री कमलेश पाटिल	05.11.1985	छिन्दवाड़ा
03	श्री सतेन्द्र कुमार	श्री ब्रजकिशोर	24.05.1993	ग्वालियर
04	श्री मंयक	श्री माखनलाल	05.04.2000	होशंगाबाद

(5) पदनाम – लैब अटेन्डेन्ट, संवर्ग – अनुसूचित जन जाति,

01	श्री लोकेश गहलोद	श्री धन्नालाल गहलोद	26.01.2001	देवास
02	श्री आलम सिंह मेढा	श्री मोहन मेढा	04.10.1993	रतलाम
03	श्री शनिलाल भारती	श्री रंगलाल भारती	13.05.2000	छिन्दवाडा

(6) पदनाम – लैब अटेन्डेन्ट, संवर्ग – अनारक्षित,

01	श्री अशुल चतुर्वेदी	श्री संतोष चतुर्वेदी	29.07.1997	पिपरिया
02	श्री रूद्वप्रताप सिंह	श्री रवीन्द्र सिंह	23.09.1999	ग्वालियर
03	श्री दिव्यांश भोला	श्री मनोज कुमार भोला	13.05.1996	जबलपुर
04	रिया बिरथरे	श्री गोवर्धन बिरथरे	02.09.1996	भोपाल
05	श्री राघव	श्री सेवक राम	25.09.1998	भोपाल
06	श्री जितेन्द्र कुमार दुबे	श्री सुरेश चन्द्र दुबे	01.01.1982	दमोह

निरंतर—2

(7) पदनाम – लैब अटेन्डेन्ट, संवर्ग – अन्य पिछड़ा वर्ग,

01	श्री रूद्धप्रताप सिंह	श्री रवीन्द्र सिंह	23.09.1999	ग्वालियर
02	श्री विष्णु प्रसाद लोधी	श्री चरण सिंह लोधी	16.04.1997	रायसेन
03	श्री महेश कुमार मीणा	श्री रोशन लाल मीणा	01.02.1986	सीहोर
04	श्री योगेश कुमार भांवरे	श्री शोभाराम भांवरे	12.10.1994	मण्डला
05	श्री मनोज कुमार नरवरिया	श्री जगदीश सिंह नरवरिया	08.06.1990	भोपाल
06	श्री राम कुमार सूर्यवंशी	श्री अनिल अनिरूद्ध सूर्यवंशी	03.06.1983	बालाघाट
07	श्री आशीष कुमार पटेल	श्री राम सहोदर	28.10.1986	भोपाल
08	श्री धर्मेन्द्र कुमार ठाकुर	श्री नर्मदा प्रसाद ठाकुर	17.04.1990	मण्डला

(8) पदनाम – लैब अटेन्डेन्ट, संवर्ग – आर्थिक रूप से कमजोर,

क्र.	चयनित उम्मीदवार का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	पता
01	श्री रिषभ सिरोठिया	श्री सहदेव प्रसाद सिरोठिया	09.08.1984	दमोह
02	श्री विपिन श्रीधर	श्री भरत श्रीधर	16.01.1994	छतरपुर
03	श्री आनंद तिवारी	श्री सीताराम तिवारी	01.01.1994	दमोह
04	श्री नियमित तिवारी	श्री रमेश चन्द्र तिवारी	04.12.1996	उज्जैन

(9) पदनाम – डिसेक्टशन हॉल अटेन्डेन्ट, संवर्ग – अनारक्षित,

01	श्री दीपक भार्गव	श्री कन्हैया लाल भार्गव	01.08.1988	ग्वालियर
02	श्री शैतान सिंह	श्री गिरिश कुमार	01.07.1996	भोपाल

(10) पदनाम – डिसेक्टशन हॉल अटेन्डेन्ट, संवर्ग – अन्य पिछड़ा वर्ग,

01	श्री विजेन्द्र कौरव	श्री रामकुमार कौरव	05.12.1988	नरसिंगपुर

(11) पदनाम – डिसेक्टशन हॉल अटेन्डेन्ट, संवर्ग – अनुसूचित जन जाति,

01	श्री नरेन्द्र सोलंकी	श्री महेन्द्र सोलंकी	02.10.1993	खरगौन

(12) पदनाम – संविदा लैब अटेन्डेन्ट, संवर्ग – अनारक्षित

01	श्री अविनाश कुमार शर्मा	श्री ब्रजवर्धन शर्मा	18.06.1998	ग्वालियर

(13) पदनाम – संविदा लैब अटेन्डेन्ट, संवर्ग – आर्थिक रूप से कमजोर

01	श्री अविनाश कुमार शर्मा	श्री ब्रजवर्धन शर्मा	18.06.1998	ग्वालियर

नियुक्ति की शर्तें:–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, यह नियुक्ति मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय आदर्श सेवा नियम 2018 (सह चिकित्सकीय संवर्ग) के तहत इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तो के अधीन होगी।
2. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति इस संस्था की सेवा शर्तो के अधीन है। संस्था अपनी सेवा शर्तो मे आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
3. उक्त नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रूपये 10,000/– प्रतिमाह पर की जाती है।
4. तीन माह पश्चात पैरामेडिकल स्टाफ की कार्य मूल्यांकन एवं कार्य संतोषजनक होने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक सी.3–13/2019/3/एक भोपाल दिनॉक 12–12–2019 के बिन्दु (v) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 8 (1)के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

5. चयनित प्रत्याशी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा की पुष्टि मध्यप्रदेश पैरामेडिकल कौंसिल, भोपाल द्वारा कराई जावेंगी यह नियुक्ति इस सशर्त पर प्रदान की जाती हैं, कि यदि कोई त्रुटि/कमी पाई गई तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जावेगा।
6. पैरामेडिकल स्टाफ को न्यूनतम 03 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तो का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) में चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूली योग्य होगी।
7. चयनित प्रत्याशी को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के अंदर (शासकीय कार्य दिवस में) कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव समाप्त हो जायेगा। कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार के मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
8. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के अंदर मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य का परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने एवं उपयुक्त पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।
9. चिकित्सा महाविद्यालय के संविलियन एवं संवर्धन नियमों के अंतर्गत स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।
10. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करते समय उपस्थित प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रतियां (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं.एफ-7-2/96/आप्र/1 दिनांक 01.08.96 के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में ही दिया जाना अनिवार्य है एवं मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करवाया जायेगा।
12. चयनित प्रत्याशी को आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत अवकाश लेने की पात्रता होगी। नियुक्ति में पेंशन,उपादान एवं तत्संबंधी अन्य किसी प्रकार के लाभ देय नहीं होंगे।
13. चयनित प्रत्याशी की सेवाऐ किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज मे एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति एक माह तक का नोटिस देकर या उसके एवज मे एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा। भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्तो के अन्तर्गत एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यकित से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
14. चयनित प्रत्याशी म0प्र0सिविल सेवा आचरण नियमों के अधीन शासित होंगे। संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी प्रतिबंधित गतिविधियों एवं हड़ताल आदि मे भाग लेने की अनुमति नही होगी एवं संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
15. नियुक्ति व्यक्ति को 100/- रूपये के स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
16. पुलिस सत्यापन में अयोग्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
17. नियुक्ति व्यक्ति को उपस्थित के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
18. शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तें परिवर्तित की जा सकती है। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है।
19. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेंगी।
20. चयनित उम्मीदवारो को छः माह के अंदर कम्प्युटर मे Window Basic एवं Microsoft Office का ज्ञान अर्जित करना अनिवार्य है एवं आपको कंम्प्युटर पर कार्य करने की दक्षता दर्शानी होगी।
21. इस नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों का समायोजन आरक्षण रोस्टर अनुमोदन के उपरांत रोस्टर अनुसार किया जावेगा।
22. चयनित उम्मीदवार बिना पूर्व स्वीकृति के छुटिटयो पर न जा सकेगा।
23. चयनित उम्मीदवार इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुऐ किसी अन्य संस्था मे रोजगार के लिये सीधे आवेदन नही दे सकते है।

निरंतर----4

24. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) तथा मध्यप्रदेश शासन के अन्य नियम लागू होगे ।
25. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–9/3/2005/नियम/चार दिनॉक 2–4–2005 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नही होगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्र एफ–5/1/2005/नियम/चार दिनॉक 2–4–2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नही होगे।
26. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तेद्ध नियम 1961 के नियम 6 के उप नियम (6) जिसमे प्रावधान अनुसार 26 जनवरी 2001 के बाद दो बच्चों से अधिक होने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त माना जावेगा।
27. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

पृ.क्रमांक 37517-57 /एम.सी/अराज/5/21 भोपाल, दिनांक 16 /11/2021

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सभांगायुक्त एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश, सतपुडा भवन, भोपाल।
5. मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला भोपाल।
7. प्रभारी अधिकारी, अराजपत्रित शाखा क्रमांक–5, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त निर्देशानुसार प्रमाण पत्रों की जॉच उपरान्त कार्यभार ग्रहण कराये तथा उपस्थिति की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।
8. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
9. कु/श्रीमती/श्री ....पदनाम...
   ...गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
10. आदेश नस्ति /व्यक्तिगत नस्ति।

16/11/2021

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल